न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 473/2026

महिला थाना काण्ड संख्या–21/2026

1.प्रिंयका कुमारी, उम्र लगभग–20 वर्ष, पिता–स्व0 अयोध्या सिंह,
2.आकंक्षा कुमारी, उम्र लगभग–19 वर्ष, पिता–स्व0 अयोध्या सिंह,
3.सुहानी कुमारी, उम्र लगभग–19 वर्ष, पिता–स्व0 अयोध्या सिंह,
4.रेणु देवी, उम्र लगभग– 65 वर्ष, पति–स्व0 अयोध्या सिंह,
सभी निवासी ग्राम–लालापुर, थाना–कुदरा, जिला–कैमूर।

----------आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ----------विपक्षी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता :– श्री आदित्य नारायण प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता
सूचक के विद्वान अधिवक्ता :– श्री अरूण कुमार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता
सरकार की ओर से :- श्री शशिभूषण पाण्डेय, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
आदेश की तिथि :17.04.2026

उपस्थिति : प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

1. अग्रिम जमानत आवेदन आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सूचिका न्यायालय में उपस्थित है। सूचिका की तरफ से नवीन वकालतनामा दाखिल किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रतन कांड दैनिकी की छायाप्रति दाखिल की गयी है। महिला थाना कांड सं0–21/2026 का मूल अभिलेख भी जमानत आवेदन के साथ संलग्न है।

2. अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह अग्रिम जमानत आवेदन महिला थाना कांड सं0–21/2026 जो धारा–126(2), 115(2), 351(2), 352, 65(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–04, 06 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया है जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह पॉक्सो न्यायालय में लंबित है। आवेदकगण के द्वारा इसके पूर्व न तो कोइ नियमित जमानत आवेदन या न कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है।

आवेदकगण का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में जैसी घटना कही गयी है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। अभियोजन का वाद झूठा एवं बनावटी है। आवेदकगण का सूचिका की पुत्री के साथ कोई संबंध नहीं है। सह अभियुक्त कृष्णा कुमार के द्वारा पीड़िता के साथ कोई लैंगिक हमला नहीं किया गया है। आवेदकगण के उपर धारा–04,06 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा–65(1) भारतीय न्याय संहिता का कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदकगण को पुलिस की गिरफतारी का भय है। आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को पुलिस की गिरफतारी एवं आत्मसमर्पण करने की स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त करने की कृपा किया जाए।

3. सूचिका की तरफ विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार गुप्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण पर सह अभियुक्त के साथ घटना कारित करने का आरोप है। आवेदकगण अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त होने का हकदार नही है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शशि भूषण पाण्डेय जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदकगण अग्रिम जमानत पाने के हकदार नही है। यह वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है और आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने से साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है।

5. उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि महिला थाना कांड सं0–21/2026 इस कांड की सूचिका के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है। अपने आवेदन में सूचिका ने यह आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष है सकरी पढ़ने जाती थी। उनके गांव का कृष्णा कुमार के द्वारा उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर दो वर्ष से यौन शोषण कर रहा था। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुयी जब उनकी पुत्री अपनी फुआ के गांव बेलौंडी दसवीं का परीक्षा देने गयी थी। उसकी परीक्षा का सेंटर मोहनियां में था। दिनांक 28.02.2026 को समय लगभग 08 बजे कृष्णा कुमार उनकी बेटी को घुमाने के बहाने कहीं ले गया और लगभग 11:30 बजे अपने फुआ के घर वापस आयी। उसके फुफा घबराकर उन्हे फोन किये तब वे वहां आयी और अपनी बेटी से पुछताछ की तब वह उन्हें बतायी कि वह दो साल से कृष्णा कुमार के साथ संबंध में है और वह उसे शादी का झांसा और पैसे का लालच देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा है। इससे पहले दिनांक 22.01.2026 को वह कृष्णा कुमार के घर चेतावनी देने गये थे कि वह उसकी बेटी से बात मत किया करे तो उसकी मां और बहन आंकक्षा कुमारी, प्रिंयका कुमारी, सुहानी कुमारी उसके साथ गाली–गलौज किये और बोले कि यहां से चली जाओ नही तो जान से

मरवा देंगे। अग्रतन कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा वादिनी तथा अन्य साक्षियों का बयान दर्ज किया गया है। वादिनी एवं अन्य किसी भी साक्षी के द्वारा दिनांक 22.01.2026 के घटना का समर्थन नहीं किया गया है। किसी भी साक्षी के द्वारा कृष्णा कुमार या उनकी बहन आंकक्षा कुमारी, प्रिंयका कुमारी, सुहानी कुमारी के द्वारा वादिनी या पीड़िता को गाली या जान से मारनी की धमकी देने की बात नहीं बतायी गयी है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा पीड़िता का धारा–180 एवं 183 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया है। पीड़िता ने धारा–180 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान में कहा है कि वह करीब दो वर्षो से कृष्णा कुमार के साथ संबंध में थी। एक बाद वह उसके साथ ताराचण्डी एवं सासाराम घूमने गयी थी और वहां दोनो संबंध स्थापीत किये थे, इसके बाद वह अपने फुआ के घर वापस आ गयी। जब वह अपनी दसवीं की परीक्षा देने अपने फुआ के गांव बेलौड़ी आयी तो दिनांक 28.02.2026 को कृष्णा कुमार के साथ घूमने गयी थी। घरवालों के पुछताछ करने पर वह बतायी कि वह कृष्णा कुमार से दो वर्षो से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। पीड़िता एवं अन्य साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि अभिलेख पर आवेदकगण रेणु देवी, आंकक्षा कुमारी, प्रिंयका कुमारी, एवं सुहानी कुमारी के उपर वादिनी के साथ किसी तरह के गाली–गलौज करने या जान से मारने की धमकी देने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न ही वादिनी ने और न ही पीड़िता ने दिनांक 22.01.2026 के घटना का समर्थन किया है। उक्त अपराध जमानतीय प्रकृत्ति की है।

6. अतः आवेदकगण **के उपर लगाये गए आरोप की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण क्रमशः 1. रेणु देवी 2. आंकक्षा कुमारी 3. प्रिंयका कुमारी एवं 4. सुहानी कुमारी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** आदेश पारित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस के द्वारा गिरफतार करने की स्थिति में आवेदकगण के द्वारा पंद्रह हजार रूपये का बंधपत्र के साथ समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर, आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिये गए प्रावधानों के आलोक में शपथपत्र दाखिल करें।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)
उपस्थित–प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–473/2026
महिला थाना काण्ड संख्या–21/2026
प्रियंका कुमारी एवं तीन अन्य बनाम् राज्य सरकार
आदेश की तिथि–17.04.2026

कार्यालय आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय में भेजें तथा इस अभिलेख को नियमानूसार अभिलखागार में जमा करें। **(लेखापित एवं शुद्धिकृत)**

sd/-
(प्रमोद कुमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनिय,
कैमूर (भभुआ)।

Date of Judgment / Order	17.04.2026
Date of reserving judgment / order	NA
Uploading date	17.04.2026
Uploaded by	Neha Kumari (Steno)